महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-57/65/84-डे0ई0-14-वीआईपी-29/2013

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 05 फरवरी,2014

विषय:- श्री राम सुमेर सिंह, चौकीदार (केन्द्र प्रभारी) तथा श्री अनमोल सिंह, जिला प्रभारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम धान क्रय केन्द्र नगरा, बलिया के विरूद्ध की गयी शिकायत की जाँच कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-2430/डब्लू0बी0/बत्तीस-2014 दिनांक 22-01-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- क्या निगम के कार्यालय-आदेश दिनांक 29-03-2012 में जिला प्रभारियों को आहरण एवं वितरण कार्य के लिए अधिकृत किया गया। यदि हाँ, तो संबंधित आदेश दिनांक 29-3-2012 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।

2- रवी/खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में जनपद-बलिया में सोनबानी केन्द्र एवं नगरा केन्द्र पर किसानों से क्रय किये गये गेहूँ/धान के भुगतान से संबंधित वांछित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

3- क्या जनपद बलिया में सोनबानी केन्द्र एवं नगरा केन्द्र पर किसानों से क्रय किये गये गेहूँ/धान के भुगतान कार्य के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अधिकृत किये जाने संबंधी निगम मुख्यालय द्वारा मण्डलीय प्रबंधक को कोई आदेश निर्गत किये गये है। यदि हाँ, तो संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाय, यदि नहीं, तो क्या मण्डलीय प्रबन्धक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मी को भुगतान संबंधी कार्य के लिए अधिकृत करना नियमानुसार है। कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/